रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266944
CG-DL-E-15102025-266944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4540]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2025/आश्विन 22, 1947
No. 4540]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2025/ASVINA 22, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2025

सं. 40/2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 70,73,84 और 85 के अंतर्गत शामिल विशिष्ट वस्तुओं के आयात की नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4669(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 70,73,84 और 85 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन करती है:

1. अध्याय 70 की नीतिगत शर्त 01, अध्याय 73 की नीतिगत शर्त 04, अध्याय 84 की नीतिगत शर्त 05 तथा अध्याय 85 की नीतिगत शर्त 09 को निम्नानुसार समाविष्ट किया गया है:

i. एचएस कोड 70071900, 85414200 और 85414300 के अंतर्गत वे वस्तुएं, जो विशेष रूप से सौर ऊर्जा परियोजनाओं में प्रयुक्त होती हैं, उनके आयात से पूर्व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण आयात निगरानी प्रणाली (आरईईआइएमएस) पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

ii. एचएस कोड 73082019, 84833000, 84834000, 85016420, 85016430, 85023100, 85030090 के अंतर्गत वे वस्तुएं, जिनका अंतिम उपयोग पवन चालित विद्युत उत्पादन क्षेत्र में होता है, के लिए आरईईआइएमएस पंजीकरण आवश्यक होगा।

iii. यह नीतिगत शर्त हवाई मार्ग मालवाहन, समुद्री मालवाहन और स्थल मार्ग द्वारा किए जाने वाले आयात पर लागू होगी।

iv. पंजीकरण हेतु आवेदन हवाई मार्ग मालवाहन के लिए कम से कम दो दिन पूर्व तथा समुद्री एवं स्थल मार्ग शिपमेंट्स के लिए कम से कम पांच दिन पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

v. प्रत्येक पंजीकरण तीन (3) माह की अवधि के लिए वैध रहेगा।

vi. पंजीकरण हेतु कोई शुल्क नहीं होगा। प्रत्येक पंजीकरण एक निर्दिष्ट समुद्री पत्तन, हवाई अडडे या स्थल पत्तन के लिए विशिष्ट होगा; तथापि एक ही पंजीकरण के अंतर्गत एकाधिक खेपो का निस्तारण किया जा सकता है।

vii. आरईईआइएमएस में आयातक के लिए यह व्यवस्था भी होगी कि वह उपरोक्त वस्तुओं/घटकों के आयात के इच्छित अंतिम उपयोग की घोषणा कर सके।

viii. आयात नीति में उपर्युक्त परिवर्तन, दिनांक 01.11.2025 से प्रभावी होंगे।

2. निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोड के लिए आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

आइटीसी एचएस कोड	**विवरण**	**आयात नीति**	**मौजूदा आयात नीतिगत शर्त**	**संशोधित आयात नीतिगत शर्त**
70071900	- कठोर (टेम्पर्ड) सुरक्षा काँच: -- अन्य	मुक्त	-	अध्याय 01 की नीतिगत शर्तों के अधीन
73082019	--- टावर, चाहे असेंबल किए गए हों या नहीं: ---- अन्य	मुक्त	-	अध्याय 04 की नीतिगत शर्तों के अधीन
84833000	- बेयरिंग हाउसिंग, जिसमें बॉल या रोलर बेयरिंग शामिल नहीं हैं; प्लेन शाफ्ट बेयरिंग	मुक्त	-	अध्याय 05 की नीतिगत शर्तों के अधीन
84834000	- गियर और गियरिंग, दांतेदार पहियों, चेन स्प्रोकेट और अन्य ट्रांसमिशन तत्वों को छोड़कर, जिन्हें अलग से प्रस्तुत किया गया है; बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बॉक्स और टॉर्क कन्वर्टर सहित अन्य गति परिवर्तक	मुक्त	-	अध्याय 01 की नीतिगत शर्तों के अधीन
85016420	--- 2000 केवीए से अधिक लेकिन 5000 केवीए से अधिक आउटपुट वाले नहीं	मुक्त	-	अध्याय 09 की नीतिगत शर्तों के अधीन
85016430	--- 5000 केवीए से अधिक लेकिन 15000 केवीए से अधिक आउटपुट वाले नहीं	मुक्त	-	अध्याय 09 की नीतिगत शर्तों के अधीन
85023100	- अन्य जनरेटिंग सेट : -- पवन ऊर्जा चालित	मुक्त	-	अध्याय 09 की नीतिगत शर्तों के अधीन

85030090	--- इलैक्ट्रिक मोटर के भाग: ----अन्य	मुक्त	-	अध्याय 09 की नीतिगत शर्तों के अधीन
85414200	- प्रकाश-संवेदी सेमिकन्डक्टर उपकरण, जिनमें फोटोवोल्टिक सेल शामिल हैं, चाहे वे मॉड्यूल में इकट्ठे हों या पैनल में बने हों; प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी): -- फोटोवोल्टिक सेल जो मॉड्यूल में एसेम्बल न हों या पैनल में न बने हों	मुक्त	-	अध्याय 09 की नीतिगत शर्तों के अधीन
85414300	- प्रकाश-संवेदी सेमिकन्डक्टर उपकरण, जिनमें फोटोवोल्टिक सेल शामिल हैं, चाहे वे मॉड्यूल में इकट्ठे हों या पैनल में बने हों; प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी): -- फोटोवोल्टिक सेल, मॉड्यूल में एसेम्बल हों या पैनल में बने हों	मुक्त	-	अध्याय 09 की नीतिगत शर्तों के अधीन

अधिसूचना का प्रभावः

आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 70, 73, 84 और 85 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की आयात नीतिगत शर्त को दिनांक 01.11.2025 से संशोधित किया जाता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/43/एएम-25/पीसी-2(ए) /ई-43569]

अजय भादू , अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2025

No. 40/2025-26

Subject: Amendment in Import Policy Condition of specific items covered under Chapter 70, 73, 84 and 85 of ITC (HS) 2022, Schedule –I (Import Policy) -reg.

S.O. 4669(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments under Chapter 70, 73, 84 and 85 of ITC (HS) 2022, Schedule –I (Import Policy), with immediate effect.

1. Policy condition no. 01 of chapter 70, Policy condition no. 04 of chapter 73 and Policy condition no. 05 of chapter 84 and Policy Condition no. 09 of the Chapter 85 is introduced as under:

i. Items under HS Code 70071900, 85414200 and 85414300 which are exclusively used for solar energy projects, must be mandatorily registered on Renewable Energy Equipment Import Monitoring System (REEIMS) of Ministry of New and Renewable Energy, prior to import.

ii. Items under HS Code 73082019, 84833000, 84834000, 85016420, 85016430, 85023100, 85030090, having end-use in the area of wind operated electricity generation, will require REEIMS registration.

iii. This Policy condition shall apply to imports through air cargo, sea cargo and land route.

iv. Applications for registration must be submitted at least two days in advance for air cargo, five days in advance for sea and land route shipments.

v. Each registration will remain valid for a period of three (3) months.

vi. There will be no registration fee. Each registration will be specific to a designated seaport, airport or land port; however, multiple consignments can be processed under a single registration.

vii. The REEIMS will also include a provision for the importer to declare the intended end-use of the imported products/components for the above mentioned items.

viii. The aforementioned changes in the import policy will come into effect from 01.11.2025.

2. The Import Policy condition for the following ITC (HS) Codes is amended as under:

ITC HS Code	Description	Import Policy	Existing Import Policy Condition	Revised Import Policy Condition
70071900	- Toughened (tempered) safety glass : -- Other	Free	-	Subject to Policy conditions 01 of chapter
73082019	--- Towers, whether or not assembled: ---- Other	Free	-	Subject to Policy conditions 04 of chapter
84833000	- Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings; plain shaft bearings	Free	-	Subject to Policy conditions 05 of chapter
84834000	- Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters	Free	-	Subject to Policy conditions 01 of chapter
85016420	--- Of an output exceeding 2000 KVA but not exceeding 5000 KVA	Free	-	Subject to Policy conditions 09 of chapter

85016430	--- Of an output exceeding 5000 kVA but not exceeding 15000 kVA	Free	-	Subject to Policy conditions 09 of chapter
85023100	- Other generating sets : -- Wind-powered	Free	-	Subject to Policy conditions 09 of chapter
85030090	--- Parts of electric motor: ----Other	Free	-	Subject to Policy conditions 09 of chapter
85414200	- Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes (LED): -- Photovoltaic cells not assembled in modules or made up into panels	Free	-	Subject to Policy conditions 09 of chapter
85414300	- Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes (LED): -- Photovoltaic cells assembled in modules or made up into panels	Free	-	Subject to Policy conditions 09 of chapter

Effect of the Notification:

The Import Policy condition of items covered under Chapter 70, 73,84 and 85 of ITC (HS) 2022, Schedule –I (Import Policy) has been revised and will come into effect from 01.11.2025.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/43/AM-25/PC-2(A)/E43569]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. to the Government of India &Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.15 16:32:35 +05'30'